Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 102–2019/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 20 जून, 2019 (30 ज्येष्ठ, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
1.	हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13)	131–132
2.	हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14)।	133
3.	हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2019 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15)।	135
4.	हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2019 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16)।	137
5.	हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22)। (केवल हिन्दी में)	139
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं।	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जून, 2019

संख्या लैज. 13/2019.– दि हरियाणा गेस्ट टीचरज़ सर्विस ऐक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 28 मई, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13

हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019

विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा में अतिथि संकाय/ तदर्थ/ संविदात्मक आधार के रूप में नियोजित शिक्षकों की सेवा का उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) ''समुचित प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, तत्समान नियमित शिक्षक का नियुक्ति प्राधिकारी ;

(ख) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, तत्समान नियमित शिक्षक का अपील प्राधिकारी;

(ग) ''विभाग'' से अभिप्राय है, विद्यालय शिक्षा विभाग ;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ङ) ''अतिथि शिक्षक'' से अभिप्राय है, शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत कोई शिक्षक ;

(च) ''पी०आर०टी०'' से अभिप्राय है, हरियाणा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य संवर्ग सेवा नियम, 2012 में यथा परिभाषित पी०आर०टी० ;

(छ) ''टी०जी०टी०'' से अभिप्राय है, हरियाणा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य सेवा नियम, 2012 में यथा परिभाषित टी०जी०टी० ;

(ज) ''पी०जी०टी०'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2012 में यथा परिभाषित पी०जी०टी० ;

(झ) ''नियमित शिक्षक'' से अभिप्राय है, विभाग में कार्यरत पी०आर०टी० या टी०जी०टी० या पी०जी०टी० और जिसे नियमित आधार पर नियुक्ति जारी की गई है ;

(ञ) ''अधिवर्षिता'' से अभिप्राय है, अठावन वर्ष की आयु ;

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः इन नियमों में दिए गए हैं।

3. ऐसे रूप में पहले से कार्यरत कोई अतिथि शिक्षक, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को उसकी नियुक्ति का ढंग या रीति और दिए गए सेवाकाल के होते हुए भी अधिवर्षिता की आयु तक विभाग में कार्य करता रहेगा। सेवा की अवधि।

4. अतिथि शिक्षकों का समेकित मासिक मानदेय सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों को दिए गए महंगाई भत्ते के रूप में उसी अनुपात में प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से बढ़ाया जाएगा ताकि मुद्रास्फीती पूरी तरह से निष्प्रभावी रहे। तथापि, ऐसा समेकित मानदेय विभाग के तत्समान नियमित शिक्षकों को दिए गए न्यूनतम वेतनमान (नियमित वेतनमान में निम्नतम ग्रेड) से अधिक नहीं होगा। पारिश्रमिक/ मानदेय।

कर्तव्य।

5. (1) कोई अतिथि शिक्षक, विद्यालय जहां वह पदस्थ है, में अधिमान के क्रम में निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा :–

(i) स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक या एक से अधिक नियमित शिक्षकों की रिक्ति के कारण कक्षा अध्यापन ;

(ii) एक या एक से अधिक नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण कक्षा अध्यापन, चाहे प्राधिकृत छुट्टी, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति, अप्राधिकृत अनुपस्थिति या मृत्यु के कारण हो ;

(iii) गैर–कक्षा शैक्षणिक कार्य जैसे उपचारात्मक अध्यापन, पर्यवेक्षण और टैस्टों का मूल्यांकन, प्रयोगशाला में प्रयोग इत्यादि ;

(iv) प्रशासकीय कर्तव्य जैसे मीड–डे–मील स्कीम का पर्यवेक्षण, नामांकन अभियान, छात्रों के माता–पिता से बातचीत के माध्यम से समुदाय में जागरूकता अभियान या कोई डाटा एकत्रित करने या विभाग द्वारा प्राधिकृत सर्वे संबंधित कार्य ;

(2) यदि किसी अतिथि शिक्षक ने एक सम्पूर्ण मास के लिए उपरोक्त किन्हीं खण्डों (i), (ii) या (iii) के अधीन किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया है और यह सम्भाव्य है कि आगामी मास के लिए भी उक्त किन्हीं खण्डों के अधीन उसे इस प्रकार कोई कार्य करने के लिए बुलाया नहीं जाएगा, तो विद्यालय का मुखिया समुचित प्राधिकारी को सूचित करेगा, जो विद्यालय में अतिथि शिक्षक को स्थानान्तरित करेगा, जहां विद्यमान उक्त किन्हीं खण्डों के अधीन कार्य करने के लिए अपेक्षित हो।

(3) कोई अतिथि शिक्षक हरियाणा राज्य में किसी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा।

हटाया जाना।

6. (1) समुचित प्राधिकारी द्वारा किसी अतिथि शिक्षक को सेवा से हटाया जा सकता है, यदि वह भूल–चूक करने का दोषसिद्धि हो जाता है, जो, यदि सरकार के किसी नियमित कर्मचारी द्वारा की गई होती, उसे बड़ी शास्ति के लिए अनुशासनिक कार्यवाही के प्रारम्भ के लिए दायी बनाती है।

(2) इस प्रकार हटाया गया कोई अतिथि शिक्षक अपील प्राधिकारी के सम्मुख उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

प्रत्यायोजन।

7. समुचित प्राधिकारी, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी, जो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, की पदवी से नीचे का न हो, को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

8. (1) यदि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत, ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

9. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिकर, छुट्टी, स्थानान्तरण, सेवा समाप्ति इत्यादि के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

10. सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध किसी बात, जो इस अधिनियम या इसके अधीन जारी की गई अधिसूचना के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित है, के लिए कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

.....

मीनाक्षी आई० मेहता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

57138—L.R.—H.G.P., Chd.